



September 17, 2021

The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: 500470/890144

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP

Dear Madam, Sirs,

**Sub: Final Reminder-cum-Forfeiture Notice (ISIN: IN9081A01010) –
Dispatch Completion and Newspaper Advertisement**

This has reference to our letter dated September 13, 2021, regarding issuance of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Final Call (“First and Final Call Money Notice”) on the outstanding partly paid-up equity shares of the Company issued in terms of the Letter of Offer dated January 22, 2018 (“Letter of Offer”).

In this connection, we wish to inform you that, in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”) read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated January 22, 2018 (“Letter of Offer”), a Final Reminder-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares (Shareholders) as on the Record Date i.e. February 19, 2021, who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and Final Call Money Notice dated February 23, 2021, Reminder-cum-Forfeiture Notice dated April 14, 2021 and Second Reminder-cum-Forfeiture Notice dated June 21, 2021 and whose e-mail address are registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent – TSR Darashaw Consultants Private Limited (“RTA”) or the Depository Participant(s). Further, physical copy of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares as on record date, who have not paid the first and final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on September 15, 2021.

TATA STEEL LIMITED

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260



In case of non-receipt of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, Shareholders may request by an e-mail or letter addressed to Link Intime India Private Limited, Registrar to the First and Final Call, for a duplicate Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, or may also download the same from the website of the Company: <https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/> or the Registrar's website: www.linkintime.co.in. In such case, however, the Shareholder has to fill the DP ID-Client ID or Folio No., number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call money.

Further, an advertisement in connection with the issue of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice was published on September 17, 2021, in the following newspapers:

1. The Indian Express (English – All editions)
2. Loksatta (Marathi – All editions)
3. Jansatta (Hindi – All editions)

Copies of the newspaper advertisement are enclosed herewith. The same are also available on the website of the Company at www.tatasteel.com

This is for your information and records.

Yours faithfully,
Tata Steel Limited

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Parvatheesam'.

Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

Encl: As above

TATA STEEL LIMITED

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260

HC: Failed to create atmosphere where child's primary caregivers can identify abuse signs

Court refuses bail to man accused of sexually abusing and abetting suicide of his 17-year-old niece

OMKARGOKHALE
MUMBAI, SEPTEMBER 16

THE BOMBAY High Court, while refusing bail to a man accused of sexually harassing and abetting the suicide of his 17-year-old niece, has recently said that "we, unfortunately, have failed to create an atmosphere in the society where parents, teachers and adults in company of the child can identify signs of abuse and make sure children receive care and protection".

A single judge bench of Justice Bharati H Dangre, earlier this month, refused bail to a man arrested for abetting suicide of his niece, who jumped from the balcony of a flat in Pune on September 6, 2020. The girl succumbed to injuries on October 17, 2020.

Three months after the incident, the girl's mother had lodged a complaint with the police alleging that Narkhede had abetted the suicide. She had said that in 2018, the girl had visited the accused, who is the cousin of her husband. As per the complaint, he attempted to touch the girl's private parts and sent her "dirty messages" over WhatsApp, screenshots of which were saved by the girl, and later recovered by the police.

The man was also booked under Protection of Children from Sexual Offences Act.

Senior advocate Aabad Ponda, appearing for the accused, said that even if it's assumed for a moment that his client had committed "an error" in texting the girl and "crossed limits", he can be said to have committed a "moral blunder". "The extreme step taken by the deceased was not the only solu-

tion left to her, as there were other ways of sorting out the issue," Ponda argued.

The HC noted, "The present case is of a young teenage girl, who felt cornered by the conduct and demeanour of her own uncle, which was unexpected since she held him on a high pedestal as her own father and was unable to vent her anguish on account of the close proximity of the family with that of the applicant."

Justice Dangre, referring to a note received from the girl, added: "She is a girl in formative years and her writing give an impression that she felt trapped... The screenshots from the mobile make it apparent that the applicant was harassing the deceased and in spite of her strong protest, was seeking something from her, leaving her in a despondent state."

Noting that the girl suffered the consequences of her uncle's conduct "silently" for a year or so, the HC said, "Sexual violence knows no boundaries. For the deceased, who was not an adult, but a child, her adolescent years were shaped by harrowing experiences that left her with irreversible and irreparable memories. The fear of stigma, not being believed and being blamed, found her in a precarious situation, left her isolated and insecure and which persuaded her to end her life."

The bench, while denying bail to the applicant, noted that he is a "matured and married man" and "does not deserve his liberty".

It added that there is every likelihood that if released on bail, he may pressurise prosecution witnesses and tamper with evidence.

Uddhav's PA appointed as member of Tirupati board

EXPRESS NEWS SERVICE
MUMBAI, SEPTEMBER 16

MILIND NARVEKAR, the personal assistant of Chief Minister Uddhav Thackeray, has been appointed as a member of the board of Tirumala Tirupati Devasthanams by the Andhra Pradesh government.

Sources said that Narvekar's name was recommended by Thackeray from Maharashtra to Andhra Pradesh Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy. In all, the Andhra Pradesh

government appointed 24 regular members including Naravkar to the board, and an official notification was issued on Wednesday.

"I am grateful to the Andhra Pradesh government for the appointment and to CM Uddhav ji Thackeray for giving me the opportunity," said Narvekar in a tweet.

Narvekar, who is also Shiv Sena secretary, has been working as personal assistant of Shiv Sena chief and CM Uddhav Thackeray for the last three decades.

FLOOD, LANDSLIDES

Govt to seek Rs 1,629 cr from NDMA for relief works

YOGESH NAIK
MUMBAI, SEPTEMBER 16

THE STATE government is set to send a proposal to the National Disaster Management Authority (NDMA) seeking Rs 1,629 crore for relief and rehabilitation works that it had to carry out after flood and landslides hit Konkan and parts of western Maharashtra, including Satara and Sangli districts.

Principal Secretary (Relief and Rehabilitation) Aseem Gupta said, "We have processed the proposal in Mantralaya and received administrative approvals. It will be sent to the NDMA on Friday."

While more than 215 lives were lost in the flood and landslides, 55 people were injured. As per initial estimates, damages worth over Rs 4,000 crore were sustained. The impact on the Mumbai-Goa and Pune-Bangalore highways is not in-

cluded in this estimate as they are managed by the National Highway Authority of India.

Sources said that in July, the relief and rehabilitation department had sent a memorandum seeking Rs 203 crore from the NDMA for those affected by Cyclone Taukta. The state is yet to receive the money.

The government had sanctioned a package of Rs 3,200 crore for taking preventive measures to reduce the impact of

flood. Of this, Rs 2,000 crore is to be paid from the state disaster management relief fund and the rest will be given in the next four years – from 2022 to 2025.

Relief and Rehabilitation Minister Vijay Vadettiwar said: "While Rs 1,598 crore will be given to build flood control walls, Rs 1,129 crore will be used to set up underground cabling of electrical wires. Also, Rs 204 crore will be used to build cyclone shelters."

PUBLIC NOTICE

THIS is for notice of the General Public that a political party is proposed to be registered by the name of **Goencho Swabhiman Party**. The office of the party is located at H. No. 12/678 behind St. Joaquim Chapel, Borda, Margao, Goa-403601. This party has submitted application to the Election Commission of India, New Delhi for its registration as Political Party under section 29A of the Representation of People Act, 1951- Names/address of the office bearers of the Party are as follows:

President : Swapnesh Sherlekar, H. No. 284, Shivolkarwada, Mulgao, Bicholim, Goa-403503

General Secretary : Krunal Naik, H. No. 483, Wadi, Talaulim, Ponda, Goa-403401

Treasurer : Vinay Vithu Borkar, H. No. 273, Holibhat, Talaulim, Ponda, Goa- 403401

If anyone has any objection to the registration of **Goencho Swabhiman Party** they may send their objection with reason thereof, to the Secretary (Political Party), Election Commission of India, Nirvanchan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001 within 30 days of the publication of this notice.



TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282 Website: www.tatasteel.com

Contact Person: Parvathesam Kanchinadham, Company Secretary & Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Contact No.: +91 22 6665 7279 E-mail: cosec@tatasteel.com
Corporate Identity Number: L27100MH1907PLC000260

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 22, 2018 filed with BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (BSE and NSE hereinafter together referred to as "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

FINAL REMINDER-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: IN9081A01010) HELD AS ON THE RECORD DATE i.e. FEBRUARY 19, 2021

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated January 22, 2018 ("Letter of Offer"), a Final Reminder-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares (Shareholders) as on the Record Date i.e. February 19, 2021, who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and Final Call Money Notice dated February 23, 2021, Reminder-cum-Forfeiture Notice dated April 14, 2021 and Second Reminder-cum-Forfeiture Notice dated June 21, 2021 and whose e-mail address are registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent – TSR Darashaw Consultants Private Limited ("RTA") or the Depository Participant(s). Further, physical copy of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares as on record date, who have not paid the first and final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on September 15, 2021.

The Stakeholders' Relationship Committee ("Committee"), duly authorized by the Board, has on September 11, 2021, approved sending of a Final Reminder-cum-Forfeiture Notice for payment of first and final call amount of ₹461/- per partly-up equity share (comprising ₹7.496 towards face value and ₹453.504 towards securities premium) as First and Final Call money ("Final Reminder-cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	September 20, 2021	October 19, 2021	30 days
Modes of payment	a) Cheque/Demand Draft ⁽¹⁾ (made payable to)	a) Tata Steel Call Money- Escrow collection - R a/c (for resident shareholders)	
		b) Tata Steel Call Money - Escrow collection - NR a/c (for non-resident shareholders)	
	b) R-WAP ⁽²⁾	Using the R-WAP facility at www.linkintime.co.in	

(1) Post the merger of certain Public-Sector Banks ("PSBs") with other banks, the cheques of the merged PSBs have become invalid effective April 1, 2021. Shareholders may please note that payment of First and Final Call Money made using cheques of such PSBs will not be accepted and payment of Call Money using such cheques will be rejected.

(2) Available only to resident shareholders and such payments to be received on or before close of banking hours on **October 19, 2021**. The payment through R-WAP is available for banks as stated below.

In case a Shareholder chooses to pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; First and Final Call Notice No.; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented to ICICI Bank Limited at any of the following locations during banking hours on or before **October 19, 2021**:

For Resident Shareholders	Ahmedabad: ICICI Bank Ltd, JMC House, Opp. Parimal Gardens, Off C. G. Road, Ambawadi, Ahmedabad – 380006, Gujarat; Bengaluru: ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M. G. Road, Ground Floor, Bengaluru – 560025, Karnataka; Chennai: ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Uthamar Gandhi Salai, Nungambakkam High Road, Chennai – 600034, Tamil Nadu; Hyderabad: ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, TGV Mansions, Opp. Institution of Engineers, Khairatabad, Hyderabad – 500004, Telangana; Jamshedpur: ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamshedpur – 831001, Jharkhand; Kolkata: ICICI Bank Ltd, 22, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700001, West Bengal; Mumbai: ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai – 400021, Maharashtra; New Delhi: ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi – 110001, Delhi; Pune: ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens, Bund Garden Road Pune – 411001, Maharashtra; Surat: ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat – 395007, Gujarat; Vadodara: ICICI Bank Ltd, 42, Haribhakti Society, Nr. Chakli Circle, O. P. Road, Vadodara – 390007, Gujarat
For Non-Resident Shareholders	Mumbai: ICICI Bank Ltd., 1st floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai – 400021, Maharashtra

Shareholders residing at locations where the ICICI Bank's collection centers are not available, may send their First and Final Call Money cheque(s) along with the completed payment slip by registered post/speed post/courier at the office of the Registrar: **Link Intime India Private Limited (Unit: Tata Steel Limited), C-101, 247 Park, LBS Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai - 400083, Maharashtra, India, Tel No.: +91- 22 4918 6200**, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the First and Final Call Money as mentioned in the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice i.e. **October 19, 2021**.

Further, a separate web-based application platform, i.e. the R-WAP facility (accessible at www.linkintime.co.in), has been instituted for making the payment for the First and Final Call by resident shareholders. Shareholders may please note that the R-WAP facility is available only to Resident shareholders. Non-resident shareholders are not eligible to pay the First and Final Call money through R-WAP. At the R-WAP webpage, resident Shareholders can access and make the payment in electronic mode using the R-WAP. Resident Shareholders, making the payment through R-WAP, shall make online payment using internet banking or UPI facility.

Resident shareholders may please note that payments can be made through R-WAP only from accounts held with the following banks:

1. Allahabad Bank 2. AU Small Finance Bank Limited 3. Axis Bank Ltd. 4. Bank of Baroda 5. Bank of India 6. Canara Bank 7. City Union Bank Ltd. 8. Deutsche Bank AG 9. Dhanlaxmi Bank Limited 10. HDFC Bank Ltd. 11. ICICI Bank Ltd. 12. IDBI Bank 13. Indian Bank 14. Indian Overseas Bank Ltd. 15. IndusInd Bank Ltd. 16. Jammu and Kashmir Bank 17. Karur Vysya Bank Ltd. 18. Kotak Mahindra Bank Ltd. 19. South Indian Bank 20. Standard Chartered Bank 21. State Bank of India 22. SVC Cooperative Bank Ltd. 23. Syndicate Bank 24. Tamilnad Mercantile Bank Ltd. 25. The Lakshmi Vilas Bank Ltd. 26. The Saraswat Co-Operative Bank Ltd. 27. YES Bank Ltd.

Please note that, failure to pay the First and Final Call Money pursuant to the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the first and final call money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9081A01010 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹2.504 paid-up) has been suspended by the Stock Exchanges effective Wednesday, February 17, 2021. Further the ISIN IN9081A01010 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") effective end of business hours on Friday, February 19, 2021
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE081A01012 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money stipulated under this Final Reminder-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE081A01012, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Reminder-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: <https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/> or the Registrar's website: www.linkintime.co.in. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call Money.
- The shareholders holding partly paid-up equity shares in physical form may please note that the Company will forward the fully paid-up stickers to those shareholders who have paid the First and Final Call Money and the said sticker should be affixed on the existing share certificate of the partly paid-up equity shares where provisions are given for payment of application money. These physical share certificates evidencing fully paid-up amount can also be dematerialized after receipt of the listing and trading approval from the Stock Exchanges.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: **Link Intime India Private Limited (Unit: Tata Steel Limited), SEBI Registration Number: INR000004058, C-101, 247 Park, LBS Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai- 400083, Maharashtra, India, Tel: +91 22 4918 6300 / 91 22 4918 6200 Fax: +91 22 4918 6195 E-mail: tsl.call1@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande.**

Tata Steel Limited
Sd/-
Parvathesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

September 17, 2021
Mumbai

TATA STEEL



NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HAMIRPUR (H.P.)
M.Tech./M. Arch. Full Time
(Self-Sponsored)
ADMISSION

Applications are invited for admission to M.Tech./M.Arch. Full Time (Self-Sponsored) Programmes in various Departments of national Institute of Technology Hamirpur (HP) for the Session 2021-22. For more details please visit the Institute Website: <http://www.nith.ac.in>

Sd/-
REGISTRAR

NIT-465-468



www.bankofbaroda.in

RECRUITMENT NOTICE

Bank of Baroda, One of the India's Largest Banks is looking for experienced professional for the post of **Business Head - Auto Loan**

Join India's International Bank for a Challenging assignment and become a part of its Growth Journey.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Vacancies
1	BUSINESS HEAD - AUTO LOAN	01

Terms of Engagement:
Contractual - For a period of 3 years, extendable at the option of the Bank. The compensation would be based on experience and suitability of the candidates and will not be a limiting factor for suitable candidates.
Eligibility Criteria - Interested candidates are advised to visit the Bank's website www.bankofbaroda.in → Career → Current Opportunities for further details. The last date for submission of the applications is **07th October, 2021 (23:59 hours)**.

Place: Mumbai
Date: 17.09.2021
Chief General Manager (HRM)

लोकसत्ता | देश - वि देश

सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या विरोधकांवर पंतप्रधानांची टीका

पीटीआय, नवी दिल्ली

संरक्षण खात्याची कार्यालय संकुले ही सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा भाग असल्याचे सांगितले असते तर टीकाकारांचा ‘खोटाखडेपणा’ व ‘चुकीची माहिती’ उघड झाली असती. त्यामुळे त्यांनी सोयिस्कररीत्या याबाबत मौन बाळगले असे सांगून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी या प्रकल्पाच्या विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र दले यांच्या ७ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी कस्तुरबा गांधी मार्ग व आफ्रिका अ‍ॅव्हेन्यू येथील दोन बहुमजली आलिशान कार्यालय संकुलाचे उद्घाटन मोदी यांनी केले. याप्रसंगी ते बोलत होते. संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम वेळेवर पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त

चारधाम यात्रा पुन्हा सुरू

उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मागे

पीटीआय, नैतिताल

चारधाम यात्रेला दिलेली स्थगिती उठवतानाच, कोरोनाविषयक नियमांचे कठोर पालन करून ही यात्रा पार पाडावी, असे निर्देश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.

चारधाममधील मंदिरांना भेट देण्याचा भाविकांच्या संख्येवर दैनंदिन मर्यादा घालण्यासारख्या निर्बंधांसह ही यात्रा सुरू होईल, असे मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने यात्रेवरील बंदी उठवताना



केला.

सेंट्रल विस्टाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हा संसाधनांचा ‘गुन्हेगारी अपव्यय’ असल्याचे सांगून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहेत. या प्रकल्पावर खर्च होणारा पैसा करोना महासाथीच्या उपचारांसाठी वळवण्याचे आवाहनही त्यांनी सरकारला केले आहे.

आज देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात आपण देशाच्या राजधानीचा नव्या भारताच्या गरजा व आकांक्षांनुसार विकास करण्याच्या दृष्टीने आपणही एक पाऊल उचलत

सारधाम यात्रा पुन्हा सुरू

सांगितले. कोरोना चाचणीचा अहवाल व लसीकरण प्रमाणपत्र यात्रेकरूंसाठी अनिवार्य राहील, असेही न्यायालय म्हणाले. केदारनाथ धाममध्ये दररोज ८००, बद्रीनाथ धाममध्ये १२००, गंगोत्रीत ६००, तर यमुनोत्रीत ४०० भाविकांना प्रवेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने ठरवून दिले. मंदिरांभोवती असलेल्या कुंडांमध्ये स्नान करण्याची यात्रेकरूंना परवानगी दिली जाणार नाही असेही न्यायालयाने सांगितले. चारधाम यात्रेदरम्यान चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार पोलीस दल तैनात केले जाणार आहे.

हर्ष मंदर यांच्या निवासस्थान, कार्यालयांत ‘ईडी’चे छापे

पीटीआय, नवी दिल्ली

आर्थिक अफरातफरीच्या (मनी लॉडरिंग) तपासाच्या संबंधात सक्त्वसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी हर्ष मंदर परिणामकारक करण्याचे आपले प्रयत्न आणखी बळकट होणार आहेत, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए)

तरतूदोन्वये मंदर यांचे निवासस्थान, तसेच दक्षिण दिल्लीतील वसंत कुंज, अदचिनी व मेहरौली येथील त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांवर छापे घालण्यात येत असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. मंदर यांच्याशी संबंधित दोन स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई) या संस्थेविरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या फेब्रुवारीत अनेक पुस्तकांचे लेखक असलेले

आणि सामाजिक न्याय व मानवाधिकार या विषयांशी संबंधित लेख वृत्तपत्रांत लिहिणारे ६६ वर्षांचे मंदर हे गुरुवारी पहोटे पत्नीसह जर्मनीला रवाना झाले. ते छात्रवृत्तीवर त्या देशात गेले असल्याचे कळते.

लहान मुलांच्या दोन स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई) या संस्थेविरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या फेब्रुवारीत

नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीचे प्रकरण आधारित आहे. मंदर हे या संस्थेचे संचालक आहेत.

सीएसईने स्थापन केलेल्या दक्षिण दिल्लीतील उमीद अमन घर व खुशी रेनबो होम यांच्यातील कथित उल्लंघनाविरुद्ध राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) संचालकांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे बाल गुन्हेगार कायद्याचे कलम ७५ व ८३(२) आणि भादंविचे कलम

१८८ अन्वये पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. एनसीपीसीआरच्या चमूने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या या घरांच्या तपासणीच्या आधारे हे प्रकरण नोंदवल्याचे पोलिसांनी तेव्हा म्हटले होते.

या दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या निरीक्षणदरम्यान बाल गुन्हेगार कायद्याच्या उल्लंघनासह इतर अनेक अनियमितता आढळल्याचा आरोप बालहक्काबाबतची सर्वोच्च संस्था असलेल्या एनसीपीसीआरने केला होता. मंदर यांनी हे आरोप ‘असमर्थनीय’ असल्याचे म्हटले होते.

TATA
TATA STEEL LIMITED
Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282 Website: www.tatasteel.com
Contact Person: Parvatheesam Kanchinadham, Company Secretary & Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Contact No.: +91 22 6665 7279 E-mail: cosec@tatasteel.com
Corporate Identity Number: L27100MH1907PLC000260

ही जाहिरात केवळ माहिती हेतुप्रीत्यर्थ आहे आणि भारताबाहेर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रसिद्धी, वितरण किंवा प्रकाशन याकरिता नाही. ही जाहिरात प्रस्ताव कागदपत्रांकरिता जाहीर निवेदन नाही. येथे वापरलेल्या आणि व्याख्या न केलेल्या सर्व भांडवली अटींचा अर्थ बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) (“बीएसई” आणि “एनएसई” यापुढे एकत्रितरीत्या “स्टॉक एक्सचेंजेस” म्हणून संदर्भित) आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (“सेबी”) यांच्याकडे फाइल केलेल्या दिनांकित २२ जानेवारी, २०१८ “प्रस्ताव पत्रात” त्यांच्याकरिता लागू असल्याबाबत तोच असेल.

रेकॉर्ड तारीख म्हणजेच १९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीप्रमाणे भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांच्या (आयएसआयएन : आयएन९०८१ए०१०१०) धारकांकरिता “अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीस”

संबंधित कंपनी अधिनियम, २०१३ (“अधिनियम”) व त्याखालील तयार केलेल्या संबंधित नियमांसह वाचलेल्या तरतुदी आणि दिनांकित २२ जानेवारी, २०१८ (“प्रस्ताव पत्र”) कंपनीची संस्थापन नियमावली व प्रस्ताव पत्राच्या अनुसार अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीस रेकॉर्ड तारीख म्हणजेच १९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीप्रमाणे भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांच्या (“भागधारक”) धारकांकरिता आणि दिनांकित २३ फेब्रुवारी, २०२१ प्रथम व अंतिम कॉल मनी नोटीस, दिनांकित १४ एप्रिल, २०२१ स्मरण-नि-जपती नोटीस आणि दिनांकित २१ जून, २०२१ दुसरी स्मरण-नि-जपती नोटीसच्या अनुसार कॉल मनी किंवा त्यावरील भागाचे प्रदान केलेले नाही आणि ज्यांचे ई-मेल पते कंपनीकडे किंवा तिचे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्स्फर एजन्टकडे- टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (“आरटीए”) किंवा डिर्पोझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे नोंदणीकृत आहेत अशा भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत पाठविण्यात आली आहे. याअधिक, सविस्तर सूचना व पेमेन्ट स्लीप यासह अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीसची प्रत्यक्ष प्रत रेकॉर्ड तारखेनुसार भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांच्या अशा सर्व भागधारकांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर, ज्यांनी प्रथम व अंतिम कॉल मनी (त्यावरील भागाचे) प्रदान केलेले नाही, अनुमती दिलेल्या प्रणालीत पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी (“कमिटी”), मंडळाद्वारा यथोचितरीत्या अधिकृत, ११ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सदर भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांच्या भागधारकांकरिता, ज्यावरील प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान न होताच राहिले आहेत, प्रथम व अंतिम कॉल मनी (“**अंतिम स्मरण-नि-जपती-नोटीस**”)नुसार ₹ ४६१/- भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांची प्रथम व अंतिम कॉल मनी रकमेचे प्रदान (दर्शित मूल्यच्या अनुसार ₹ ७.४९६ आणि सिक्युरिटीज प्रिमियमच्या अनुसार ₹ ४५३.५०४ समाविष्ट) करण्याकरिता अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीस पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तदनुसार, “अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीस” खाली दिलेल्या तपशिलासह देण्यात आली आहे :

प्रदान कालावधी	पासून	पर्यंत	कालावधी
	२० सप्टेंबर, २०२१	१९ ऑक्टोबर, २०२१	३० दिवस
प्रदानाचा प्रकार	ए) चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट^(१) (यांच्याकरिता देय केले)	ए) Tata Steel Call Money - Escrow Collection- R a/c (निवासी भागधारकांकरिता)	
	बी) आर-डब्ल्यूएपी^(२)	बी) Tata Steel Call Money - Escrow Collection- NR a/c (अनिवासी भागधारकांकरिता)	
		www.linkintime.co.in यावरून आर-डब्ल्यूएपी सुविधेचा वापर करून	

(१) पाठविलेले अन्य बँकांसमवेत काही पब्लिक-सेक्टर बँकांचे विलिनीकरण, पीएसबी’जशी विलिनीकरण झालेल्या बँकांचे चेक्स ०१ एप्रिल, २०२१च्या प्रभावापासून अवैध ठरले आहेत. भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की सदर पीएसबी’जच्या चेक्सचा वापर करून प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान स्वीकारले जाणार नाही व सदर चेक्सचा वापर करून कॉल मनीचे केलेले प्रदान नामंजूर करण्यात येतील.

(२) केवळ निवासी भागधारकांनाच उपलब्ध आहे आणि सदर प्रदान १९ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी बँकेची कार्यालयीन वेळ समाप्त होताच किंवा तत्पूर्वी स्वीकारण्यात येईल. आर-डब्ल्यूएपीद्वारा प्रदान केवळ खालील नमूद केलेल्या बँकांकरिता उपलब्ध आहे.

जर भागधारक चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्टद्वारा प्रदानाकरिता निवड करित असल्यास, पेमेन्ट स्लिप (एकमेव/ प्रथम भागधारकाचे नाव; प्रथम व अंतिम कॉल मनी नोटीस नं. : डीपी आयडी-क्लायन्ट आयडी/ फोिलओ नं. व भागशः प्रदान केलेल्या समन्याय भागांची संख्या नमूद करून) चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्टद्वारा देय रकमेसमवेत **१९ ऑक्टोबर, २०२१** रोजी किंवा तत्पूर्वी कार्यालयीन वेळेत खालील ठिकाणांच्या कोणत्याही आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडकडे सादर करावयाची आहे.

निवासी भागधारकांकरिता	अहमदाबाद : आयसीआयसीआय बँक लि., जेएमसी हाऊस, परिमल गार्डन्सच्या समोर, सी. जी. रोडलगत, अंबावाडी, अहमदाबाद-३८० ००६, गुजरात; बेंगालूर : आयसीआयसीआय बँक लि, १, शोभा पर्ल, कमिसरिएट रोड, एम. जी. रोडलगत, तळमजला, बेंगालूर-५६० ०२५, कर्नाटक; चेन्नई : आयसीआयसीआय बँक लि., ११०, प्रकाश प्रेसिडियम, उथथमार गांधी सर्लाई, नंगमबक्कम हाय रोड, चेन्नई-६०० ०३४, तामिळनाडू; हैदराबाद : आयसीआयसीआय बँक लि., ६-२-१०१२, टीजीव्ही मेन्थान्स, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्सच्या समोर, खैराताबाद, हैदराबाद-५०० ००४, तेलंगणा; जमशेदपूर : आयसीआयसीआय बँक लि., नटराज मेन्शन, मेन रोड, बिस्तूपूर, जमशेदपूर-८३१ ००१, झारखंड; कोलकाता : आयसीआयसीआय बँक लि., २२, सर आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-७०० ००१, पश्चिम बंगाल; मुंबई : आयसीआयसीआय बँक लि., पहिला मजला, १२२, मिस्त्री भवन, दिनशा वाच्छा रोड, बँकबे रिक्लमेशन, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२१, महाराष्ट्र; नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँक लि., फ्लेस बिल्डिंग, कॉनोटे प्लेस, नवी दिल्ली-११० ००१, दिल्ली; पुणे : आयसीआयसीआय बँक लि., ‘ए’ विंग, शांभिला गार्डन्स, बंड गार्डन रोड, पुणे-४११ ००१, महाराष्ट्र; सुरत : आयसीआयसीआय बँक लि., प्लॅटिनम प्लाझा, व्ही. टी. चोकसी लॉ कॉलेजसमोर, अथवाल्लिनेस, सुरत-३९५ ००७, गुजरात; वडोदरा : आयसीआयसीआय बँक लि., ४२, हरीभक्ती सोसायटी, चाकली सर्कलजवळ, ओ. पी. रोड, वडोदरा-३९० ००७, गुजरात.
अनिवासी भागधारकांकरिता	मुंबई : आयसीआयसीआय बँक लि., पहिला मजला, १२२, मिस्त्री भवन, दिनशा वाच्छा रोड, बँकबे रिक्लमेशन, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२१, महाराष्ट्र

भागधारकांकडील निवासी ठिकाण जेथे आयसीआयसीआय बँक कलेक्शन सेन्टर्स उपलब्ध नाहीत, ते रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/ कुरिअरद्वारा पूर्ण असलेल्या प्रदानासह त्यांचे प्रथम व अंतिम कॉल मनी चेक्स पाठवू शकतील: **लिंग इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट : टाटा स्टील लिमिटेड), सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, सूर्या नगर, गांधीनगर, विक्रान्ठी (प.), मुंबई-४०० ०८३, महाराष्ट्र, भारत, टेलि. क्र. : +९१-२२ ४९१८ ६२००, मुंबई** येथे देय चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्टसमवेत आवश्यक तपशील नमूद करून, सदर जेणे करून अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार प्रथम व अंतिम कॉल मनीच्या प्रदानाच्या शेवटच्या तारखेस म्हणजेच **१९ ऑक्टोबर, २०२१** रोजी किंवा तत्पूर्वी स्वीकारले जातील.

याअधिक, एक स्वतंत्र वेब-वेर्य्ड ऑनलाईनरेशन प्लॅटफॉर्म, म्हणजेच आर-डब्ल्यूपी सुविधा (“www.linkintime.co.in”) यावर उपलब्ध असलेली) निवासी भागधारकांद्वारा प्रथम व अंतिम कॉलकरिता प्रदान करण्याकरिता प्रस्थापित करण्यात आली आहे. भागधारकांनी नोंद घ्यावी की आर-डब्ल्यूपी सुविधा केवळ निवासी भागधारकांकरिता उपलब्ध आहे. अनिवासी भागधारक आर-डब्ल्यूपी सुविधेमार्फत प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान करण्यास पात्र नाहीत. आर-डब्ल्यूपीमार्फत प्रदान करणारे निवासी भागधारक इंटरनेट बँकिंग किंवा यूपीआय सुविधेचा वापर करून ऑनलाइन प्रदान करू शकतील.

निवासी भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, प्रदान खालील बँकेकडे असलेल्या अकाऊन्ट्समधून आर-डब्ल्यूपीमार्फत करू शकतील :

१. अलाहाबाद बँक
२. ए्यू स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड
३. ॲक्सिस बँक लि.
४. बँक ऑफ बडोदा
५. बँक ऑफ इंडिया
६. कॅनरा बँक
७. सिटी युनियन बँक लि.
८. ड्यूचे बँक एजी
९. धनलक्ष्मी बँक लि
१०. एचडीएफसी बँक लि.
११. आयसीआयसीआय बँक लि.
१२. आडीबीआय बँक
१३. इंडियन बँक
१४. इंडियन ओव्हरसीज बँक
१५. इंड्संड बँक
१६. जम्मु अॅण्ड कार्मोर बँक
१७. करूर वैस्था बँक लि.
१८. कोटक महिंद्र बँक लि.
१९. साऊथ इंडियन बँक
२०. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक
२१. स्टेट बँक ऑफ इंडिया
२२. एसव्हीसी को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
२३. सिंडिकेट बँक
२४. तामिळनाड मर्कन्टाइल बँक लि.
२५. दि लक्ष्मी विलास बँक लि.
२६. दि साक्सत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
२७. येस बँक लि.

कृपया नोंद घ्यावी की पूर्वेकतनुसार अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीसच्या अनुसार प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान करण्यास असमर्थ ठरल्यास, भागशः प्रदान केलेले समन्याय भाग प्रस्तुत होणारे (जर प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान झाले नसल्यास), त्यावरील आधीच प्रदान केलेली अॅप्लिकेशन रक्कम समाविष्ट, कायदा, कंपनीची संस्थापन नियमावली आणि प्रस्ताव पत्राच्या अनुसार जप्त होण्यास पात्र ठरेल.

भागधारकांनी नोंद घ्यावी की :

I. आयएसआयएन आयएन९०८१ए०१०१० दर्शित मूल्य ₹ १० प्रत्येकी (₹ २.५०४ भरणा केलेले)चे भागशः भरणा केलेले समन्याय भाग दर्शविणारे बुधवार, १७ फेब्रुवारी, २०२१च्या प्रभावापासून स्टॉक एक्सचेंजद्वारा स्थगित करण्यात आले आहेत. याअधिक आयएसआयएन आयएन९०८१ए०१०१० भागशः भरणा केलेले समन्याय भाग दर्शविणारे शुक्रवार, १९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी कामकाज संपताच नॅशनल सिक्युरिटीज डिर्पोझिटरी लि. (“एनएसडीएल”) आणि सेन्ट्रल डिर्पोझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (“सीडीएसएल”)द्वारा स्थगित करण्यात आले आहेत.

II. डिर्पोझिटरीद्वारा नियतवाटप केलेले, विद्यमान पूर्णतः भरणा केलेल्या समन्याय भागांकरिता सद्य आयएसआयएन आयएन९०८१ए०१०१२ अंतर्गत भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांचे रूपांतरण पूर्णतः भरणा केलेल्या समन्याय भागामध्ये करण्याकरिता कॉर्पोरेट कृती प्रक्रिया अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीसअंतर्गत विनिर्दिष्ट केल्यानुसार प्रथम व अंतिम कॉल मनीच्या प्रदानाच्या शेवटच्या तारखेपासून दोन ते तीन आठवड्यांच्या आत पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. कॉर्पोरेट कृतिप्रक्रियेची पूर्तता झाल्यानंतर भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांचे रूपांतरण पूर्णतः भरणा केलेल्या समन्याय भागामध्ये करण्यात येईल आणि एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारा नियतवाटप केलेले, आयएसआयएन आयएन९०८१ए०१०१२ मध्ये जमा करण्यात येतील.

III. जर अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीस प्राप्त न झाल्यास, भागधारक सदर प्रतिलिपित स्मरण-नि-जपती नोटीसकरिता ई-मेल किंवा पत्राद्वारा रजिस्ट्रारकडे विनंती करू शकतील किंवा कंपनीची वेबसाइट : **https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/** किंवा रजिस्ट्रारची वेबसाइट : **www.linkintime.co.in** यावरून डाऊनलोडसुद्धा करता येईल. अशा बाबतीत, तथापि, भागधारकांनी डीपी आयडी-क्लायन्ट आयडी किंवा फोिलओ नं. असलेल्या भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांची संख्या आणि प्रथम व अंतिम कॉल मनीच्या अनुसार देय रक्कम इ. तपशील नमूद करावयाचा आहे.

IV. प्रत्यक्ष स्वरूपातील भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भाग असलेल्या भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनी पूर्णतः भरणा केलेले रिस्टर्स अॅग्रेषित करील अशा भागधारकांना ज्यांनी प्रथम व अंतिम कॉल मनीचे प्रदान केले आहे आणि उक्त रि्टकर भागशः भरणा केलेल्या समन्याय भागांच्या विद्यमान प्रमाणपत्रावर चिकटविले पाहिजे जेथे अर्ज रकमेच्या प्रदानाकरिता तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. पुराव्यादाखल होणारी पूर्णतः भरणा केलेल्या रकमेबाबतही प्रत्यक्ष भाग प्रमाणपत्रे स्टॉक एक्सचेंजेसकडून मान्यता मिळालेल्या ट्रेडिंग व लिस्टिंगच्या स्वीकृतीनंतर डिमेंटरीअलाइडसुद्धा होऊ शकतात.

V. भागधारकाने आय कर अधिनियम, १९६१ अंतर्गत नियतवाटप केलेला त्याचा/ तिचा पॅन नंबर अर्जांसोबत नमूद करणे आवश्यक आहे.

अंतिम स्मरण-नि-जपती नोटीससंबंधित सर्व पत्रव्यवहार यांना संबोधित असावेत : **लिंग इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट : टाटा स्टील लिमिटेड), सेबी रजिस्ट्रेशन नं. : आयएनआ२०००००४०५८, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, सूर्या नगर, गांधीनगर, विक्रान्ठी (प.), मुंबई-४०० ०८३, महाराष्ट्र, भारत, टेलि. नं. : +९१-२२ ४९१८ ६३००/११ २२ ४९१८ ६२००; फॅक्स : +९१-२२ ४९१८ ६१९५; ई-मेल : **tsl.call1@linkintime.co.in** **वेबसाइट : www.linkintime.co.in** संपर्क व्यक्ती : श्री. सुमित देशाण्डे.**

टाटा स्टील लिमिटेड	
स्वाक्षरी/-	
पार्वथीयम कांचीनाधम	
कंपनी सचिव व	
मुख्य विधि अधिकारी (कॉर्पोरेट व कॉम्प्लायन्स)	
१७ सप्टेंबर, २०२१	
मुंबई	
TATA STEEL	

पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश, 13 लोगों की मौत

लखनऊ, 16 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून ने खासा जोर पकड़ लिया है और पिछले 24 घंटों में इन इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान हुई तेज बारिश के कारण हुए हादसों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के

मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़ और अयोध्या में सबसे ज्यादा 20–20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अनेक जगहों पर बुधवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार रात तक जारी रही।

बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में दीवार अथवा मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत होने की सूचना है। जौनपुर में चार, फतेहपुर में

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

बस-ट्रक की टक्कर में दो की मौत

इटावा, 16 सितंबर (जनसत्ता)।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस मार्ग पर सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिमरूआ गांव के पास दिल्ली से गोण्डा जा रही एक वोल्वो बस के ट्रक से टकरा जाने से चालक समेत दो लोगों की मौत और 16 यात्री घायल हो गए। हादसे की शिकार हुई बस में 65 यात्री सवार थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस हादसे मे मारे गए लोगों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए घायलों के निशुल्क उपचार के लिए डीएम और सीएमओ को निर्देशित किया है।

इटावा के एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय सैफई थाना पुलिस ने तत्परता से बस हादसे मे घायलो को एंबुलेंस के जरिये सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी मे भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी का इलाज करने में जुटी हुई है। मरने वालों में एक की पहचान चालक के रूप में प्रतापगढ़ के दिलीप शुक्ला के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान गोण्डा के किशन शुक्ला के रूप में हुई है।

 ? TATA
TATA STEEL LIMITED
Registered Office: Bombay House, 24, Horni Mody Street,Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282 Website: www.tatasteel.com
Contact Person: Parvaltheesam Kanchinadham, Company Secretary & Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Contact No.: +91 22 6665 7279 E-mail: cosec@tatasteel.com
Corporate Identity Number: L27100MH1907PLC000260

यह केवल सूचना के लिए एक विज्ञापन है न कि प्रकाशन, वितरण अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत से बाहर वितरण के लिए है। यह प्रस्ताव दस्तावेज हेतु कोई घोषणा नहीं है। यहां प्रयुक्त सभी कैपिटाइलज्ड और अपरिभाषित शब्द बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (“एनएसई”) (बीएसई तथा एनएसई को इसके पश्चात एक साथ “स्टॉक एक्सचेंज” सन्दर्भित किया जायेगा) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) के साथ दर्ज प्रस्ताव पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 में उनके लिए निर्धारित अर्थ के समरूप होंगे।

रिकार्ड तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को धारित आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों (आईएसआईएन : IN9081A01010) के धारकों हेतु अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना
कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके तहत निर्मित प्रासंगिक नियमों के साथ पठित प्रावधानों तथा प्रस्ताव पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 (“प्रस्ताव पत्र”) के सन्दर्भ में, अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना उन आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर धारकों (“शेयरधारक”) को रिकार्ड तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे जा चुके हैं जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी सूचना दिनांक 23 फरवरी, 2021, रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2021 तथा दूसरी रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना दिनांक 21 जून, 2021 के अनुसार कॉल मनी या उसके अंश का भुगतान नहीं किया है तथा जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा इसके रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट-टीएसआर दाराशा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड (“आरटीए”) या डिपाजि्टरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। पुनः, अन्तिम रिमाइंटर-सह-जब्ती सूचना तथा विस्तृत निर्देश एवं भुगतान पर्ची उन सभी आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर रिकार्ड तिथि को अनुमत्य माध्यमों से भेजी जा चुकी है जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी (या उसके भाग) का भुगतान नहीं किया है। कम्पनी ने 15 सितम्बर, 2021 को डिस्मैच का कार्य पूरा कर लिया है।

बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत हितधारक सम्बन्ध समिति (“समिति”) ने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी के रूप में प्रथम एवं अन्तिम कॉल राशि रु. 461/- प्रति आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू के प्रति रु. 7.496 तथा प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति रु. 453.504 से निर्मित) के भुगतान हेतु अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना भेजने का अनुमोदन किया है।

तदनुसार, अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए सर्व की गयी है :

भुगतान अवधि	से	तक	अवधि
	20 सितम्बर, 2021	19 अक्टूबर, 2021	30 दिन
भुगतान का माध्यम	(क) चेक/डिमांड ड्राफ्ट” (को देय)	क) Tata Steel Call Money- Escrow collection - R a/c (रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु)	
	(ख) आर-वैप”	ख) Tata Steel Call Money - Escrow collection - NR a/c (नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु)	
		आर-वैप सुविधा का प्रयोग करते हुए www.linkintime.co.in पर	

(1) हमारे बैंक के साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (“पीएसबी”) के समामेलन के बाद, समामेलित पीएसबी के चेक 1 अप्रैल, 2021 से अवैध हो गये हैं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि ऐसे पीएसबी के चेक का उपयोग करके किए गए प्रथम और अंतिम कॉल मनी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे चेक का उपयोग करके कॉल मनी का भुगतान अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(2) केवल रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है और ऐसे भुगतान 19 अक्टूबर, 2021 को बैंकिंग समय की समाप्ति पर या उससे पहले प्राप्त किए जाने हैं। आर-वैप के माध्यम से भुगतान बैंकों के लिए उपलब्ध है जैसा कि नीचे बताया गया है।

यदि कोई शेयरधारक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान का विकल्प लेता है तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय राशि के साथ भुगतान पर्ची (एकमात्र/प्रथम शेयरधारक के पूर्ण नाम, प्रथम एवं अन्तिम कॉल सूचना सं., डीपी आईडी-क्लाइट आईडी/फोलियो नं., तथा आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए) 19 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पूर्व बैंकिंग घंटों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर आईसीआईसीआई बैंक के पास जमा करना होगा।

रेजीडेंट शेयरधारको हेतु	अहमदाबाद: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जेएमसी हाउस, सामने परिमल गार्डन्स, ऑफ सी.जी. रोड, अंबावाड़ी, अहमदाबाद – 380006, गुजरात; बंगलुरु: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 1, शोभा पर्ल, कमिश्न्रिएट रोड, ऑफ एमजी रोड, ग्राउंड फ्लोर, बंगलुरु – 560025, कर्नाटक; चेन्नई: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 110, प्रकाश प्रेसिडियम, उथ्यमार गांधी सलाई, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई – 600034, तमिलनाडु; हैदराबाद: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 6-2-1012, टीजीवी मैशन्स, सामने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, खैरताबाद, हैदराबाद – 500004, तेलंगाना; जमशेदपुर: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नटराज मेशन, मेन रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर – 831001, झारखंड; कोलकाता: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 22, सर आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल; मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, 122, मिस्त्री भवन, दिनशां वछा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चंगेट, मुंबई – 400021, महाराष्ट्र; नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 9ए, फेल्प्स बिल्डिंग, कनांट प्लेस, नई दिल्ली – 110001, दिल्ली; पुणे: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ए विंग शांगरीला गार्डन, बंद गार्डन रोड पुणे – 411001, महाराष्ट्र; सूरत: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लेटिनम प्लाजा, सामने वी.टी. चोकसी लॉ कॉलेज, अथवालाइन्स, सूरत – 395007, गुजरात; चडोदरा: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 42, हरिभक्ति सोसाइटी, निकट चकली सर्कल, ओ.पी. रोड, चडोदरा – 390007, गुजरात
नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु	मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, 122, मिस्त्री भवन, दिनशां वछा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चंगेट, मुंबई – 400021, महाराष्ट्र

ऐसे स्थान पर रहने वाले शेयरधारक जहाँ आईसीआईसीआई बैंक के संग्रह केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं, वे भरी हुई भुगतान पर्ची सहित अपनी प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी रजिस्ट्रार के कार्यालय : **लिंग इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-टाटा स्टील लिमिटेड), सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, सूर्य नगर, गांधी नगर, विखरोली चेस्ट, मुम्बई-400083, महाराष्ट्र, भारत, दूरभाष नं. : +91-22 4918 6200** पर, प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी चेक, मुम्बई में देय चेक/डिमांड ड्राफ्ट के अपेक्षित विवरण देते हुए इस प्रकार रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें कि वह अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना में उल्लिखित के अनुसार प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी के भुगतान की अन्तिम तिथि अर्थात 19 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पूर्व पहुंच जाए।

पुनः, रेजीडेंट शेयरधारकों द्वारा प्रथम एवं अन्तिम कॉल के भुगतान हेतु एक अलग से वेब-आधारित प्लेटफॉर्म अर्थात आर-वैप सुविधा सुविधा (www.linkintime.co.in पर एक्सेसिबल) स्थापित किया गया है। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि आर-वैप सुविधा केवल रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। नॉन-रेजीडेंट शेयरधारक आर-वैप के माध्यम से प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी अदा करने के पात्र नहीं होंगे। आर-वैप के वेब पेज पर, रेजीडेंट शेयरधारक एक्सेस कर सकते हैं और आर-वैप का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान कर सकते हैं। आर-वैप के माध्यम से भुगतान करने वाले रेजीडेंट शेयरधारक इंटरनेट बैंकिंग अथवा यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

रेजीडेंट शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि भुगतान केवल निम्नलिखित बैंकों में रखे गए खातों से आर-वैप के माध्यम से किया जा सकता है:

1. इलाहाबाद बैंक
2. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
3. एक्सिस बैंक लिमिटेड
4. बैंक ऑफ बड़ौदा
5. बैंक ऑफ इंडिया
6. केनरा बैंक
7. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
8. ड्यूषा बैंक एजी
9. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
10. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
11. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
12. आईडीबीआई बैंक
13. इंडियन बैंक
14. इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड
15. इंडसईड बैंक लिमिटेड
16. जम्मू और कश्मीर बैंक
17. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
18. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
19. साउथ इंडियन बैंक
20. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
21. भारतीय स्टेट बैंक
22. एस्वीसी सहकारी बैंक लिमिटेड
23. सिंडिकेट बैंक
24. तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
25. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
26. सारस्वत सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड
27. यस बैंक लिमिटेड